न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 09/2014 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2014/00031

उनवान

देवी सिंह पुत्र पातीराम उम्र 80 साल जाति लोधा निवासी नयागॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट/असल प्रतिवादी।

बनाम

1. अगम सिंह पुत्र अचल सिंह जाति लोधा निवासी नया गॉव तहसील रूपवास नाबालिग जरिये वलायत व रफायत नेक्स्ट फ्रेंड अचल सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति लोधा निवासी नयागॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. निगम सिंह आयु 12 साल पुत्र अचल सिंह जाति लोधा निवासी नया गॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर नाबालिग जरिये वलायत व रफायत नेक्स्ट फ्रेंड अचल सिंह पुत्र देवी सिंह जाति लोधा निवासी नया गाव तहसील रूपवास जिला भरतपुर पिता खुद।

..... असल रेस्पोडेण्ट/वादीगण

3. राज सिंह पुत्र देवी सिंह } जाति लोधा निवासी नयागॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. भगत सिंह पुत्र देवी सिंह }
5. धाराजीत पुत्र मंगलराम जाति वैश्य निवासी फतेहपुर सीकरी जिला आगरा (उ.प्र.)
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी, रूपवास दि0 21.10.2013 प्र.सं. 36/2001 उनवानी अगम सिंह बनाम देवी सिंह।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 29.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण संख्या 01 व 02 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 8 रकवा 19 बीघा 10 विस्वा भूमि में रैस्पो0/वादीगण का जन्मजात हित निहित है। विवादित आराजी असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट को उनके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता पातीराम से विरासत में मिली थी। असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट, रैस्पो0/वादीगण का खास बाबा है एवं शेष प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 व 04 खास चाचा हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी अकेले असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम खातेदारी अंकित है, जिससे असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट के मन में बदयानती आ गयी है एवं वह विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देते हैं। असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा रैस्पो0/वादीगण की बिना जानकारी के, विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 386 रकवा 04 बीघा 01 विस्वा भूमि, को रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय भी कर दिया है एवं शेष आराजी को भी रहन वय मुन्तकिल करने पर आमदा हैं। इससे रैस्पो0/वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना पैदा हो गई हैं। इसलिए दावा करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/12–1/12 अर्थात 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा भूमि का विभाजन कर पृथक से खाता कायम कर कब्जा दिलाये जाकर असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर असल प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नही कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट तन्हा खातेदार काश्तकार काबिज एवं उसकी स्वः अर्जित सम्पत्ति है। जिसमें उसके जीवनकाल में पुत्र अथवा पौत्र किसी को भी कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकते। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट की पैतृक सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुए तनकी संख्या 01 व 02 का निर्णय विरूद्ध अपीलाण्ट करने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी के किसी भू भाग पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेख से केवल अपीलाण्ट ही काबिज काश्तकार प्रमाणित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 03 का निर्णय वहक रैस्पो0 करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पुत्र अचल सिंह, अपीलाण्ट की पुत्रियों एवं खसरा नम्बर 314 के क्रेता को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। अतः वाद NON JOINDER OF PARTY के दोष से ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मौखिक कथनों के आधार पर रैस्पो0 का वाद अपीलाधीन आदेश से डिक्री किया है, जो काबिल खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 2001 पेज 180, 325 एवं आर0आर0टी0 2017(1) पेज 353 का हवाला देते हुए, अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि अनुरूप एवं विवादित भूमि के पैतृक सम्पत्ति होने के कारण रैस्पो0 के उसमें जन्मजात हित निहित होना कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित आठ तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01 **"आया वादीगण असल प्रतिवादी के खिलाफ दावे की प्रार्थना की खण्ड संख्या अ के अनुसार खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी घोषित कराए जाने के अधिकारी हैं"** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी मौखिक कथनो के आधार पर वहक वादी/रैस्पो0 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट तय की है। हम पाते हैं कि रैस्पो0/वादी के दावे का आधार, विवादित भूमि के पैतृक सम्पत्ति प्रमाणित होने से है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति सिद्ध करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। केवल दावें में उल्लेख एवं मौखिक कथन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं माने जा सकते। हम उभयपक्ष को इस तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का मौका दिया जाना आवश्यक समझते हैं।

7. तनकी संख्या 02 **"आया वादीगण अर्जीदावा की मद संख्या 02 में वर्णित आराजीयात के चार समान कुर्रे कराए जाने व उसी आधार पर अमल दरामद कागजात कराने के अधिकारी हैं"** तनकी संख्या 1 की विवेचनानुसार, तनकी संख्या 2 के निष्कर्ष भी उचित नहीं माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित विवादित आराजी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2054–57 में अपीलाण्ट/प्रतिवादी, देवी सिंह की खातेदारी में अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में रैस्पो0/वादीगण प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार नहीं है एवं धारा 53 के प्रावधानों के तहत विभाजन हेतु साझीदार या आसामी होना आवश्यक है। अतः इस तनकी बाबत् भी अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं हैं।

8. तनकी संख्या 03 **"आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी में असल प्रतिवादी को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने व उनके हिस्से में मदाखलत मजाहमत बेजा हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं"** अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 एवं 02 के निष्कर्ष अनुरूप रैस्पो0/वादी के पक्ष में निर्णित की है। परन्तु उपरोक्त विवेचना अनुसार तनकी संख्या 01 व 02 के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपरिपक्व पाये गये हैं। अतः तनकी संख्या 03 का निष्कर्ष भी पुनः परीक्षण का मोहताज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. तनकी संख्या 04 व 05 **"आया वादीगण ने अपने वादपत्र में समस्त वारिसान को फरीक मुकदमा नहीं बनाया इसलिए वादीगण 1/4 हिस्सा के खातेदार दावा क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने के कारण एवं मिस जोइण्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण काबिल खारिज है"** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों तनकियॉ विरूद्ध प्रतिवादी तय की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलाण्ट का कथन रहा है कि रैस्पो0/वादीगण ने उसके पुत्र देवी सिंह, दो पुत्रियों एवं खसरा नम्बर 314 के क्रेता को पक्षकार मुकदमा नहीं जोडा है। अतः वाद Mis joinder of Parties के दोष से ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय का मानना है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवादित भूमि में लडकियों का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (AMENDMENT) 2005 के मुताबिक सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रियों को भी पुत्रो के समान हक प्रदान किये गये हैं। अतः पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0/वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 314 के क्रेता को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः वाद निश्चित तौर पर Mis joinder of Parties के दोष से ग्रसित है। परन्तु यह दोष निवारण योग्य है। उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया आवश्यक समझते हैं। अतः इस तनकी को भी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

10. तनकी संख्या 06 व 07 तनकी संख्या 01 से 05 के निष्कर्ष अनुरूप रैस्पो0/वादी अपना वाद सिद्ध नही कर पाये हैं। अतः तनकी संख्या 06 व 07 अपील के निर्णय के क्रम में निष्प्रयोजन हो गई हैं।

11. **अनुतोष** :– सभी तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। उपरोक्त तनकी विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष उचित नहीं पाये गये हैं। हमारी दृष्टि में अपीलाधीन आदेश अपरिक्व है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारी राय में उभयपक्ष को तथ्य स्पष्ट करने एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2003 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर, उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official